has been intensified. Simultaneously the use of plastic taps, wash basins, etc. which have comparatively less re-sale value is being extended.

(c) Does not arise.

New freezing method for curing mouth Cancer

3109. SHRI DEEN BANDHU VERMA Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a new freezing method has been developed for curing mouth cancer; and

(b) if so, what are the details in this regard?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (KUMARI KUMUDBEN M. JOSHI): (a) and (b). The technique referred to is known as cryosurgery. However, it is not a method of treatment for established cancer but useful only in precancerous lesions. It uses the principle of freezing the involved tissues to sub zero temperatures so that cancerous cells are destroyed. It give approximately the same results as conventional surgery, with the added advantage that it is simple, can be done without general anaesthesia, in the out patient department itself.

निलम्बित रेल कर्मचारियों को निर्वाह भत्ता

3110. **श्री त्रिलोक चन्द्र** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निलम्बित रेल कर्मचारियों को 90 दिन के बाद 75 प्रतिशत निर्वाह-भत्ता दिया जाता है बशर्ते कि उन कर्मचारियों के विरुद्ध प्रत्यक्ष जांच में विलम्ब न हो ,

(ख) यदि हां, तो क्या निर्वाह-भत्ता भी डी० ए० एण्ड आर० के अधीन एक तर्कसंगत अवसर है,

(ग) क्या उत्तर रेलवे दिल्ली डिवीजनल चिकित्सा विभाग के संबंधित फार्मासिस्टों को 75 प्रतिशत निर्वाह-भत्ता नहीं दे रहा है जबकि उन फार्मासिस्टों के विरुद्ध जांच में कोई प्रत्यक्ष विलम्ब नहीं हुआ है ; और

(घ) यदि हां, तो उन निलम्बित फार्मासिस्टों को 75 प्रतिशत निर्वाह-भत्ते की बकाया राशि का भुगतान कब तक किया जाएगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) रेल कर्मचारी के निलम्बन की तारीख से तीन महीने की अवधि के बाद निर्वाह भत्ते की पुनरीक्षा की जा सकती है । इस प्रकार की पुनरीक्षा के बाद रेल कर्मचारी के प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से उत्तरदायी होने के अनसार निलम्बन की अवधि बढ़ायी के लिए, निवाह भत्त के भुगतान में 50 प्रतिशत की कमी अथवा वृद्धि की जा सकती है ।

(ख) निर्वाह-भत्ते का तर्कसंगत अवसर से कोई संबंध नहीं है ।

(ग) उत्तर रेलवे पर दिल्ली मंडल के निलम्बनाधीन एक फार्मासिस्ट का ही एक मामला है । ऐसे कारणों से, जिनके लिए वह प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी था । उसके निर्वाह भत्ते में भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित वर्तमान प्रावधानों के अनुसार कमी की गयी थी । बहरहाल बाद में विशेष मामले के तौर पर इसका निर्वाह भत्ता बहाल कर दिया गया ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

Directions to grant/renew licences to drug manufacturing units

3111. SHRI P. M. SAYEED: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether the Ministry has proposed to the State Governments to grant or